



राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

75
Rajasthan
Government

क्रमांक: F 61(349) SSAAT/ लोकपाल कार्यकाल वृद्धि / 2024 / 3853-65 जयपुर, दिनांक 9/12/25

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23.12.2021 व 20.03.2023 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर सोसायटी कार्यालय के आदेश दिनांक 20.04.2023 के द्वारा (धोलपुर, सिरौही, प्रतापगढ़, बूंदी, बांरा, करौली, चुरू, टोंक, झालावाड़, अजमेर, चित्तोडगढ़, पाली, नागौर, सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर) तथा आदेश दिनांक 12.06.2023 द्वारा दौसा जिले के लिए 02 वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए।

14 जिलों (धोलपुर, सिरौही, प्रतापगढ़, बूंदी, बांरा, करौली, चुरू, टोंक, झालावाड़, अजमेर, चित्तोडगढ़, पाली, उदयपुर एवं दौसा) में नियुक्त निम्न लोकपालों का 02 वर्ष का कार्यकाल क्रमशः 20.04.2025 व 12.06.2025 को पूर्ण होने पर सोसायटी कार्यालय के आदेश दिनांक 27.05.2025 एवं 25.08.2025 द्वारा क्रमशः आगामी 03-03 माह के लिए पूर्णरूपेण अस्थाई रूप से अथवा नए लोकपाल की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई गई थी।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात निम्न लोकपाल की अवधि पुनः आगामी 03 माह के लिए पूर्णरूपेण अस्थाई रूप से अथवा नए लोकपाल की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.सं.	जिले का नाम	लोकपाल का नाम	जन्मतिथि
1	अजमेर	श्री सुरेश कुमार सिंधी पुत्र श्री परमल सिंधी, 45-सर्वोदय कॉलोनी, जैन मंदिर के पास, पुलिस लाइन, जिला अजमेर	04.02.1960
2	करौली	श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री रतनलाल शर्मा, थाने के पीछे मण्डरायल, जिला करौली, राजस्थान 322251	07.06.1959
3	टोंक	श्री पारस चन्द जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन, गहलोत नर्सिंग होम के सामने, मेहन्दीबाग, जिला टोंक,	11.07.1959

(सांवर मल वर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक: F 61(349) SSAAT/ लोकपाल कार्यकाल वृद्धि / 2024 / 3853-65 जयपुर, दिनांक 9/12/25
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेंगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
- निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
- निजी सचिव, आयुक्त EGS, राजस्थान।
- निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेंगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, सम्बंधित जिला।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बंधित जिला परिषद।
- संबंधित लोकपाल को पालनार्थ प्रेषित है।
- प्रोग्रामर/सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक (SSAAT) **Signature valid**

C:\DARAB SINGH\DARAB SINGH\SSAAT\LOKPAL\EXTRA\Letter 5.docx

RajKaj Ref No.:
19267247



1

Digitally signed by Saanvar Mal
Verma
Designation: Director
Date: 2025.12.08 19:38:58 IST
Reason: Approved